

# कार्यालय – उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर

क्रमांक :- सान्ध्यावि / उ.गे.छा.यो.2019-20 / 2019 /

**7744-7865,**

दिनांक :- ०१/०७/१९

प्राचार्य,  
राजकीय / निजी शिक्षण संस्थान,,  
(समस्त)

विषय :- शैक्षणिक सत्र 2019-20 में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/  
विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा  
उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जानें  
के संबंध में।

प्रसंग :- निदेशालय सान्ध्यावि, राज० जयपुर के कार्यालय पत्रांक 5883 दिनांक 17.06.19 एवं  
सरलीकरण पत्र क्रमांक 15027 दिनांक 15.03.2019 के संदर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेश के संबंध में लेख है कि विद्यार्थी द्वारा शैक्षणिक सत्र  
2019-20 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक  
पिछड़ा वर्ग/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में राज्य की राजकीय  
/निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य से बाहर की राष्ट्रीय स्तर की राजकीय शिक्षण संस्थाओं  
के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों द्वारा विभागीय वेबसाईट  
sso.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन पेपरलैस आवेदन पत्र आमंत्रित किये जानें हेतु दिनांक 20.06.  
2019 से ऑनलाईन पोर्टल प्रारंभ किया जा चुका है तथा विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने  
की अंतिम तिथि/पोर्टल बन्द करने की तिथि 31.08.2019 निर्धारित की गयी है।

निदेशालय सा.न्या.एवं अ.वि.राज. जयपुर के आदेशांक एफ9(4)(25)छात्रवृति/पोर्टल/सरली/  
/सान्ध्यावि/2019/15027 दिनांक 15.03.2019 के बिन्दु सं० ९ के प्रावधान के अनुसार ३ सप्ताह (21  
दिन) में यदि आवेदन पत्र नियमानुसार शिक्षण संस्थान स्तर से जांच उपरान्त संबंधित जिला कार्यालय  
को अग्रेषित नहीं किये जाते हैं तो इसे विभाग द्वारा डिम्ड अप्रूवड माना जाकर स्वीकृत कर दिया जावेगा  
तथा गलत भुगतान की स्थिति में संबंधित शिक्षण संस्थान का नौडल अधिकारी उत्तरदायी होगा।

अतः समस्त शिक्षण संस्थान अपने छात्रवृति शाखा को निर्देशित करावें कि वह संबंधित जिला  
कार्यालय को विभाग द्वारा समय–समय पर जारी छात्रवृति संचालन नियमों का सूक्ष्मता से अवलोकन  
करके ही छात्रवृति आवेदन पत्रों की जांच करें एवं केवल सही आवेदन पत्र ही संबंधित जिला कार्यालय  
को अग्रेषित करावें। एक बार संबंधित जिला कार्यालय स्तर से ऑफोक्शन लगने के बाद पुनः गलत  
आवेदन पत्र प्राप्त होने पर संबंधित जिला कार्यालय स्तर से रिजेक्ट होनें की स्थिति में संबंधित शिक्षण  
संस्थान एवं विद्यार्थी स्वयं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

अतः उक्त प्रासंगिक पत्र 5883 दिनांक 17.06.2019 की प्रति इस पत्र के संलग्न प्रेषित है।

भवदीय

उपनिदेशक

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
बीकानेर

दिनांक :-

क्रमांक :- सान्ध्यावि / उ.गे.छा.यो.2019-20 / 2019 /

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है :-

- श्रीमान अति. निदेशक, (छात्रवृति एवं छात्रावस) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान  
जयपुर।
- श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, बीकानेर।

उपनिदेशक

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
बीकानेर

**राजस्थान सरकार**  
**सामाजिक व्याया एवं अधिकारिता विभाग**  
 जी ३/१, अम्बेडकर भवन, सिंहल लाईन रेलवे एक्सिंग के पास, जयपुर  
 क्रमांक रु. ०४०५०३ में ३० जनवारी वर्ष २०१९ सामाजिक ८८४३  
 मात्र । २०१९-२०२० वर्ष में ३० जनवारी वर्ष २०१९ के लिए अनुसूचित जाति / अनुजनजाति / विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग) / अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक पिछड़ा वर्ग / विमुक्त घुमन्तु एवं अद्वघुमन्तु / मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में राज्य की राजकीय / निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राजकीय राष्ट्रीय स्तर एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित / अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं (कक्षा 11 एवं 12 के केवल राजकीय शिक्षण संस्थान) के विद्यार्थियों द्वारा वेबसाईट [www.scholarship.rajasthan.gov.in](http://www.scholarship.rajasthan.gov.in) विलक कर पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाइन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र भरने के लिए निम्नानुसार तिथियां निर्धारित की जाती हैं :—

क्र.सं.	विषय वर्तु	निर्धारित तिथियां
1	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण कर औनलाईन आवेदन पत्र भरने के लिए पोर्टल प्रारंभ करने की तिथि	20 जून 2019
2	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के लिए पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि / पोर्टल बन्द करने की तिथि	31 अगस्त 2019

नवीन छात्रवृत्ति पोर्टल पर शैक्षणिक सत्र 2019-20 में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विद्यार्थियों के लिए निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं :—

1. अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) एवं विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग—SBC) के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 2.50 लाख रु. तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
2. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 1.50 लाख रु. तक वार्षिक आय सीमा वाले निम्नलिखित 17 श्रेणियों वाले विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे। जैसे— बी.पी.एल. कार्डिगारक की पुत्री/पुत्र, अन्योदय कार्डिगारक की पुत्री/पुत्र, स्टेट बी.पी.एल. कार्डिगारक की पुत्री/पुत्र, अनाथ बालिका/बालक, विधवा स्वयं, विधवा की पुत्री/ पुत्र, तलाकशुदा महिला पुत्री/पुत्र, तलाकशुदा महिला की पुत्री/पुत्र, विशेष योग्यजन स्वयं, विशेष योग्यजन की पुत्री/ पुत्र।
3. डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 1.00 लाख रुपये तक की वार्षिक आय सीमा वाले केवल राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
4. डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु एवं अद्वघुमन्तु (DNT) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 2.00 लाख रु. तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
5. मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 5.00 लाख रु. से कम वार्षिक आय सीमा वाले सभी जाति के परिवारों के राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं (विभाग द्वारा सूचीबद्ध) में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
6. सभी विद्यार्थी अपना आवेदन पत्र स्वयं भरें। ऑनलाईन आवेदन पत्र के लिए पासवर्ड स्वयं सृजित करें। छात्र यदि ई-मित्र/साइबर कैफे/शैक्षणिक संस्थान से आवेदन कर रहे हैं तो अपने सामने ही सभी प्रविष्टियों को आवेदन पत्र में भरवाये एवं समस्त प्रविष्टियों की जांच स्वयं कर लें तथा यदि कोई त्रुटि है तो आवेदन पत्र को उसको सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र को ऑनलाईन फाइल सबमिट करें।
7. छात्र/छात्रा मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी स्वयं की ही हों।

8. SC/ST/SGS (पूर्ण में SBC) /EBC/DNT/ मूल्यमंत्री सर्वेजन उच्च शिक्षा उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को आवेदन पत्र औंन लाईन करते समय निम्नलिखित वांछित दस्तावेज़/सूचनाएं तयार रखना आवश्यक होगा एवं आवश्यकतानुसार मूल दस्तावेज़ को रंगीन स्कैन कर पोर्टल पर यथारथान अपलोड करना होगा। जैसे – आय का प्रमाण पत्र (विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र द). मूल निवास विवाहित महिला की स्थिति में पिता/ प्रमाण पत्र, अनाथ एवं विधवा स्वयं/विवाह के पुत्र/पुत्री की स्थिति में पिता/माता/पति की मृत्यु पर संवधित का मृत्यु प्रमाण पत्र, तलाकशुदा महिला की स्थिति में तलाक से संवधित दस्तावेज़, गत अंतिम परीक्षा की अंकतालिका, फीस की मूल रसीद।
9. OBC उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को आवेदन पत्र औंन लाईन करते समय निम्नलिखित वांछित दस्तावेज़/सूचनाएं तयार रखना आवश्यक होगा एवं आवश्यकतानुसार मूल दस्तावेज़ को रंगीन स्कैन कर पोर्टल पर यथारथान अपलोड करना होगा जाति प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा ऑनलाईन जारी किया गया हो, ही मान्य होगा। बी.पी.एल./अन्तोदय/स्टेट बी.पी.एल. का डाटा भामाशाह से लिया जावेगा। वर्ष 2019–20 हेतु आय का घोषणा (नवीन प्रारूप), मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाहित महिला की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र, अनाथ बालिका/बालक होने की स्थिति में माता–पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र। विधवा स्वयं, विधवा की पुत्री/ पुत्र होने की स्थिति में पति/पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र। तलाकशुदा महिला स्वयं, तलाकशुदा महिला की पुत्री/पुत्र होने की स्थिति में तलाक होने का दस्तावेज अपलोड करना होगा। विशेष योग्यजन स्वयं, विशेष योग्यजन की पुत्री/ पुत्र होने की स्थिति में विशेष योग्यजन को जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
10. आय का घोषणा पत्र वर्ष 2019–20 हेतु एक पृष्ठीय निर्धारित प्रपत्र (जो कि विमागीय वेवसाइड से प्राप्त किया जा सकता है) में ही बनाकर मूल ही स्कैन कर पोर्टल पर यथा रथान अपलोड करना होगा। पिता जीवित होने की स्थिति में पिता द्वारा, पिता की मृत्यु होने की स्थिति में माता द्वारा, माता–पिता दोनों की मृत्यु होने की स्थिति में संरक्षक द्वारा, माता–पिता एवं संरक्षक तीनों ही नहीं होने की स्थिति में स्वयं द्वारा, विवाहित महिला होने की स्थिति में पति द्वारा आय की घोषणा की जावेगी। माता–पिता नियोजित होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी एक पृष्ठीय मूल आय प्रमाण पत्र स्कैन कर पोर्टल पर यथारथान अपलोड करना होगा।
11. विद्यार्थियों की आधारभूत सूचनाएँ जैसे— नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, वैकं खाता संख्या, मोबाईल नम्बर आदि भामाशाह पोर्टल से ली जा रही है। विद्यार्थी के शैक्षणिक रिकार्ड एवं भामाशाह पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में कोई भिन्नता हो तथा शैक्षणिक रिकार्ड के मुताबिक परिवर्तन कराना चाहता है, तो भामाशाह पोर्टल में अंकित सूचना में भामाशाह पोर्टल के माध्यम से ही संशोधन करवाया जाना आवश्यक होगा।
12. भामाशाह आई.डी. तथा आधार नम्बर के अभाव में विद्यार्थी की छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की जा सकेगी।
13. विद्यार्थी का वैकं खाता संख्या उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में छात्रवृत्ति राशि भामाशाह कार्ड में अंकित विद्यार्थी अथवा परिवार के मुखिया के वैकं खाता में हरतान्तरित होगी। यदि विद्यार्थी अपने खाते में ही राशि हरतान्तरण करवाना चाहता है, तो विद्यार्थी को भामाशाह पोर्टल पर अपना वैकं खाता संख्या अंकित करवाना अनिवार्य होगा। विद्यार्थी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है कि उसके द्वारा अंकित किया हुआ वैकं खाता निम्न प्रकार है:-
  - a. छात्रवृत्ति आवेदन आवेदन पत्र में जो खाता उनके द्वारा अंकित किया जा रहा है, वह वैकं नियमों के अनुसार के वाई.सी. (KYC) पूर्ण स्वयं का खाता हो।

- b. छात्र के खाते में लेन-देन भी वैक द्वारा निर्धारित रामय-अन्तराल में ही एवं छात्र को प्राप्त होने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति का कुल धनराशि छात्र के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए कोई ऐसी रीमां (LIMIT) निर्धारित न हो जिससे कि धनराशि अन्तरण सम्भव न हो पाये।
- c. दैक खाता बन्द न हो।
14. शैक्षणिक संस्थान द्वारा विद्यार्थी को उपलब्ध कराई गई फीस की रसीद में अंकित 8 मद ही यथा 1. पंजीकरण शुल्क (Registration Fee), 2. नामांकन शुल्क (Enrolment Fee), 3.शिक्षण शुल्क (Tuition Fee), 4.खेल-कूद शुल्क (Games Fee), 5.रांगठन (यूनियन) शुल्क (Union Fee), 6.पुस्तकालय शुल्क (Library Fee), 7.पत्रिका शुल्क (Magazine Fee), 8.परीक्षा शुल्क (Examination Fee) का योग एवं अनुरक्षण भत्ता का योग ही छात्रवृत्ति हेतु देय है। विद्यार्थी शिक्षण संस्थान द्वारा जारी फीस की रसीद में इन 8 मद को सावधानी से पोर्टल पर अंकित करें। फीस की मदों का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं कराने की रिस्ति में केवल अनुरक्षण भत्ता ही देय होगा। अन्य देय फीसों का पुनर्भरण संभव नहीं होगा।
15. अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क (NON REFUNDABLE FEES) के कालम में शिक्षण संस्थान से जानकारी करने के बाद ही वास्तविक फीस की धनराशि अंकित करें।
16. विद्यार्थी को शैक्षणिक संस्थान एवं पाठ्यक्रम का चयन सावधानी पूर्वक करना होगा। यदि विद्यार्थी द्वारा गलत शैक्षणिक संस्थान/पाठ्यक्रम/योजना अथवा अन्य का चयन किया जाता है एवं इस आधार पर आवेदन स्थाई रूप से निरस्त हो जाता है तो इसके लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
17. वर्ष 2019-20 से राज्य के मूल निवासी विद्यार्थियों के आवेदन पत्र विद्यार्थी के गृह जिले (बोनाफाइड सर्टिफिकेट) के जिलाधिकारी के द्वारा स्वीकृत किये जाएंगे। जयपुर जिले में दो विभागीय कार्यालय जयपुर एवं जयपुर ग्रामीण होने के कारण सांगानेर,झोटवाडा एवं आमेर तहसील के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र जयपुर (शहर) कार्यालय में एवं जयपुर जिले की अन्य तहसीलों (सांगानेर,झोटवाडा एवं आमेर तहसीलों को छोड़कर) के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र जयपुर (ग्रामीण) कार्यालय में अग्रेषित (Forward) किये जायेंगे।
18. कक्षा 11 व 12 की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु केवल अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष समूह योजना, आर्थिक पिछड़ा वर्ग तथा विमुक्त, धुमन्तु, अर्द्धधुमन्तु वर्ग के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
19. कक्षा 11 व 12 की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी एवं संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी होंगे।

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संबंधी विस्तृत जानकारी [www.scholarship.rajasthan.gov.in](http://www.scholarship.rajasthan.gov.in) पर देखी जा सकती है एवं विभागीय जिला कार्यालय में व्यक्तिशः एवं दूरभाष पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

*२५*  
 (सांवरमल जूसी)  
 निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

फॉर्म नं. 109.5/4/2019 अत्र निर्देशन-संकेत/2019-19/ ५८८६ - ६०८२  
प्रतिवेदन निर्देशन को मुख्यालय एवं अधिकारियों को सूची प्रदान करता है।

दिनांक : 17-6-2019

1. गमका गमक, सामाजिक मूल्यांकिता कानूनीय, गमपुर।
2. निश्चिय गमपुर, सामाजिक मूल्यांक, न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी गमक, प्रमुख शासन संबिल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी गमक, शासन संबिल, युवा प्रशासिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
5. निजी गमक, गमक, उच्च एवं कठीनकी शिक्षा, जयपुर।
6. निजी गमक, आगुक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
7. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सम्बूद्ध, शिक्षण/जयपुर।
8. निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग, जायपुर।
9. निजी प्राविधिक संसद, राजस्थान युवा प्रशासिकी एवं संचार विभाग, राज.जयपुर।
10. निजी कानूनीय/कोषाधिकारी, (गमरत)।
11. निजी गमकान्तर, मुख्यालय।
12. गमक निदेशक (दलनायायण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
13. गमरत/ और/ निदेशक/प्रशासक, राजकीय /निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल, समरत.....।
14. निजी शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/सांभारीय सरकृत शिक्षा अधिकारी समरत.....।
15. प्रावार्य, राजकीय सोडिकल/स्नातकोत्तर/स्नातक महाविद्यालय समरत.....।
16. प्रयानावार्य राजकीय पांचीटेक्निक महाविद्यालय/राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय/राजकीय वरिष्ठ उपराज्याय युवकृत विद्यालय समरत.....।
17. अधीक्षक राजकीय/निजी ओद्योगिक प्रशिक्षण संरथान समरत.....।
18. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समरत शिक्षण संस्थाएं.....।
19. गिरिहम एनालिसिट (JD) मुख्यालय को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाने, तकनीकी पर अपलोड करवाने तथा संवित समरत को ई-मेल करवाने हेतु।
20. आप निदेशक (प्रवार्य), मुख्यालय को उपरोक्तानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रवार-प्रसार करवाने तथा अपने निवे में रिहित गमरत शिक्षण संस्थाओं को अपने रत्तर से रूपित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
21. सामायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
22. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक  
(छात्रवृति एवं छानावास)